

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/ 1312

दिनांक: 14/2/22

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत नगरीय विकास कर से संबंधित विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/9400 दिनांक 24.04.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 289 दिनांक 19.01.2022 की निरन्तरता में भूतपूर्व सैनिको/भूतपूर्व सैनिको की पत्नियों के साथ ही भूतपूर्व सैनिक (महिला)/ शहीद महिला सैनिक की स्थिति में उसके पति को भी नगरीय विकास कर में उदग्रहण से छूट देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/ 1313 - 1777

दिनांक: 14/2/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी